न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 873/2018

1. बाबूलाल पुत्र श्री गोपालराम जाति धानक निवासी– चक 3 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती रिमता पत्नी श्री बाबूलाल जाति धानक निवासी– चक 3 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीगण

–: बनाम :–

1. सुखचैन सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखपाल सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: उपस्थित अभिभाषक :–

1. श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़ – – प्रार्थीगण
2. श्री तेजासिंह – – अप्रार्थी 2 व 3

–: आदेश :–

दिनांक :–31.03.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण का पेशा काश्तकारी है तथा प्रार्थीगण के नाम से वाके चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 20, 21, 22, 23, 24, 25 व मुरब्बा नं. 49 में किला नं.1,9,10 की खातेदारी भूमि है सलग्न नक्शा पटवारी हल्का द्वारा जारी किया गया है, की प्रतिलिपि सलग्न है। इसी प्रकार अप्रार्थी की सयुंक्त खाते की भूमि मुरब्बा नं. 49, के किला नं. 2, 3, 4, 5 वाके चक 9 वाई भूमि दर्शाई गई है। प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिये नक्शे के अनुसार मुरब्बा नं. 48 व 49 वाके चक 9 वाई में नक्शे के अनुसार मुरब्बा नं. 49 के किला नं. 21, 22, 23, 24, 25, 10, 16, 6, 5, में रास्ता दर्शाया गया है, परन्तु अप्रार्थी के मुरब्बा नं. 49 के किला नं 2,3,4,5 में रास्ता स्वीकृत नहीं है। यदि प्रार्थीगण अपने खेत में जाना चाहते है तो मुरब्बा नं. 49 के किला नं.2, 3, 4, 5 में रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को उक्त रकबे में मुरब्बा नं. 49 के किला नं. 2,3,4,5 वाके चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु कई दफा मना किया परन्तु दिनांक 10.06.2018 को कतई इन्कार हो गया इसलिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा ओर कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण के पास इस रास्ता स्वीकृत करवाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है यह रास्ता नजदीकी है जिससे प्रार्थीगण अपने खेत में जा सकते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक वाके चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 20, 21, 22, 23, 24, 25 व मुरब्बा नं. 49 में किला नं. 1, 9, 10 में अप्रार्थी के कब्जा काश्त में खातेदारी भूमि मुरब्बा नं. 49 के किला नं. 2, 3, 4, 5 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकार किया जावे।

प्रार्थीगणं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 10.11.2019 को वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी कुलदीप सिंह के स्थान पर सुखचैन सिंह एवं सुखपाल सिंह को अप्रार्थी बनाया जावे। दिनांक 17.12.2019 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सुखचैन सिंह एवं सुखपाल सिंह को पक्षकार बनाया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें वकील प्रार्थी द्वारा पूर्व अनुतोष के स्थान पर नया अनुतोष चाहा गया कि प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिए चक 9 वाई तह. व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नं. 11, 20, 21 में रास्ता की आवश्यकता है अतः रास्ता मुरब्बा नम्बर 49 के किला नं. 11, 20, 21 में स्वीकृत किया जावे।

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जरिए क्रमांक/राजस्व/18/2345 दिनांक 5.09.2018 के प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता चक 9 वाई के खाता संख्या /66 के मु0 न0 49 के किला न० 52, ता 5 मे दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है। उक्त रकबा संयुक्त खातेदार मे दर्ज रिकार्ड है। सहखातेदारण को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थीगण के द्वारा रास्ता किला विशेष से मांगा जा रहा है। वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण सयुक्त खाते के सहखातेदार है। अपने खाते के किला विभाजन के साथ–साथ ही रास्ते का अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से प्रकरण में पुनः रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में पुनः रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रासता मु.नं. 49 के किला नं. 11, 20, 21 में मांगा गया है उक्त मु.नं. 49 का कि.नं. 11, 20, 21 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता संख्या 99/84 में सुखचैन सिंह, सुखपाल सिंह पुत्रगण जोगेन्द्रसिंह के नाम से दर्ज रिकार्ड है।

दिनांक 20.11.2020 को अप्रार्थी सुखपालसिंह व सुखदेवसिंह की ओर से जवाब पेश हुआ जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थी द्वारा पूर्व में मुरबा नम्बर 49 के किला नम्बर 2 ता 5 के रास्ता मन्जूर कराने बाबत आवेदन पत्र दिया गया अब नया आवेदन पत्र पुनः मुरबा नम्बर 49 के किला नम्बर 2 ता 5 की बजाय 11–20–21 में मन्जूर करने के लिये निवेदन किया गया है, जबकि आवेदन पत्र का अवलोकन नहीं कराने का संशोधन पत्र दिया है इसलिये प्रार्थनापत्र का विलेख काबिल खारिजी है। प्रार्थी को पूर्व में दरखवास्त मुरबा न. 49 किला न. 2 ता 5 में बड़ी सोच यह मान कर दी थी की मुरबा न. 47 में किला 20 ता 25 प्रार्थी का खातेदारी का मुरबा न. 47 के किला न. 25 में रास्ता है। गाँव की पक्की सड़क है गाँव में पक्की सड़क होता हुआ अपने मुरबा के किला न. 20 ता 25 में प्रवेश करके काश्त करता है और मुरबा नम्बर 47 में किला 21 के कोने में मुरबा न. 49 के किला न. 2 ता 5 में प्रवेश करके किला 1–9–10 में चला जाता था। आज के पूर्व यही रास्ता उपयोग करता है।

...ी का नया आवेदन काबिल खारिजी है। प्रार्थी द्वारा खाता 51/75 में प्रवेश किला नं. ...-8-10 के लिये रास्ते की मॉग की गयी है जबकि प्रार्थी का खाता 51/75 में मुस्तरका ...े के नाम है विशेष किले प्रार्थी के नाम नहीं है। खाता मुस्तरका है, खातेदार जब तक ...ा नहीं हो जाता तब तक सहहिस्सेदार है। दूसरे हिस्सेदारों को पक्षकार नहीं बनाया ...। इसलिये प्रार्थना चलने योग्य नहीं होने के कारण काबिल खारिज है। अतः जवाब मय ...नामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा मुरब्बा नम्बर 49 के किला नं. ...ा 5 में रास्ता मंजूर करने बाबत अनुमति/सहमति दी गई। पत्रावली का अवलोकन किया ...ा। जमाबंदी सम्वत् 2068–2071, ग्राम 9 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र ...पुर खाता संख्या 47/46, जमाबंदी सम्वत् 2068–2071, ग्राम 9 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुर खाता संख्या 100/92, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075, ग्राम 9 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र कालियां खाता संख्या 51/75, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075, ग्राम 9 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र कालियां खाता संख्या 100/93 के अवलोकन से प्रकट है कि प्रश्नगत आराजी संयुक्त खाते की आराजी है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में समस्त सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। संयुक्त खाता की ...ाजी में प्रत्येक सहखातेदार के प्रत्येक ईंच भूमि पर कब्जे होने की अवधारणा की जाती है। ...ऐसा समस्त सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने की स्थिति में प्रार्थी वांछित अनुतोष ...प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए ...रा. काश्त. अधि. पोषणीय नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 31.03.2021 को जारी ...कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर